

न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

राजस्थान सरकार लॉरर पटवारी हल्का

वस्ती

बनाम श्री सुम्मा पुत्र जोरा
जाति मेरात निवासी कस्ती

प्रकरण नं० 12-6/2019

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट

-:निर्णय:-

दिनांक 28-5-19


पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का कस्ती द्वारा सम्बन्ध 2076 ग्राम कस्ती की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 503 कुल रकबा 09-15 किस्म भूमि वा.उ. में से रकबा 0-05-00 बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री सुम्मा पुत्र जोरा जाति मेरात निवासी कस्ती द्वारा नाजायज कारोपी कर लिये जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 28-5-19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने कावत जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर कायिज है।

अतः श्री सुम्मा पुत्र जोरा जाति मेरात निवासी कस्ती को सिवायचक भूमि ग्राम कस्ती के खसरा नं० 503 कुल रकबा 09-15 किस्म भूमि वा.उ. में से रकबा 0-05-00 भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से वेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान का पचास गुणा 4/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्ध को जव्त सरकार कर निलाम किया जावे आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28-5-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया।



(प्रभात त्रिपाठी)
तहसीलदार मसूदा
जिला - अजमेर

